समक्षः— न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल केम्प भोपाल जिला भोपाल

अपील क्रमांक ....

अपील 808-II-15

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल
द्वारा कार्यपालन अधिकारी
कार्यालय—ताज काम्पलेक्स,
वक्फ परिसर, भोपाल ——— अपीलार्थी

विरूद्ध

(1) सीताराम आयु वयस्क
आत्मज श्री देवीलाल खटीक
निवासी झूलन पीर मस्जिद के पास
विदिशा जिला विदिशा
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष
(2) विदिशा
कार्यालय जिलाध्यक्ष कार्यालय विदिशा ——— प्रत्यार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 44(1) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 222/अपील/11—12 में पारित ~~आवेदन~~ आदेश दिनांक 7—2—2015 से असंतुष्ट होकर तथा अपनी असहमति प्रकट करते हुए निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत करता है :—

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
राजस्व संभाग, भोपाल

प्रकरण के तथ्यः—

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी, अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 222/अपील/11—12 ~~निगरानी~~ में पारित आदेश दिनांक 7—2—15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई ।

माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में यह कथन किया गया कि प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 16—1—64 एवं दिनांक 30—6—64 के आधार पर कस्बा विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1524, 1523व 1503 पर नामांतरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

यह कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यार्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण के विचारण के दौरान तहसीलदार के समक्ष विधिवत आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा प्रत्यार्थी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण को निरस्त किया गया ।

निरन्तर...2

for
CHIEF EXCUTIVE OFFICER
M.P. WAQF BOARD
BHOPAL

(54)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– निगरानी 808–दो/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–15 for	प्रकरण आज प्रस्तुत । इस प्रकरण में दिनांक 9–12–15 नियत थी । दिनांक 9–12–15 को नियत प्रकरण दिनांक 10–12–15 को लिए जाने की सूचना, सूचना पटल पर चस्पा की गई है । 2/ आवेदक को भेजा गया सूचनापत्र तामील उपरांत वापिस प्राप्त परंतु ना तो आवेदक और ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हैं । उन्हें समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई परंतु फिर भी वे उपस्थित नहीं हैं । अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है । सदस्य	